

आदेश-पत्रक
(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

तारीख तक
आदेश पत्रक
जिला- पटना सन्

केश का प्रकार दा० खा० वाद सं० 232 सन् 2013-14

आदेश की क्रमांक एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर						आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में रिपोर्ट, संशोधन सहित:												
16/4/13	<p>श्री रामाशक्त चौधरी वत्सव खो बालु लाल चौधरी ग्राम मुखारनाथ पो० थाना शाहपुर जिला पटना केवाला न० 2249 दिनांक 6/3/13 के आधार पर निम्नांकित जमीन का दाखिल-खारिज हेतु आवेदन पत्र दाखिल किया है।</p> <table border="1" data-bbox="259 1008 1323 1164"> <thead> <tr> <th>गाँव</th> <th>थाना न०</th> <th>खाता न०</th> <th>खेसरा</th> <th>एराजी</th> <th>लगान</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ठिवरा</td> <td>33</td> <td>2V</td> <td>23</td> <td>2046 971/1/2</td> <td>9-00 (402)0</td> </tr> </tbody> </table>						गाँव	थाना न०	खाता न०	खेसरा	एराजी	लगान	ठिवरा	33	2V	23	2046 971/1/2	9-00 (402)0	
गाँव	थाना न०	खाता न०	खेसरा	एराजी	लगान														
ठिवरा	33	2V	23	2046 971/1/2	9-00 (402)0														
22/4/13	<p>मूल आवेदन पत्र हत्कर्मचारी को अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँच प्रतिवेदन हेतु दौ. आम महाल पर सूचना जारी कर आपत्ति की मांग करें। अभिलेख दिनांक 16/4/13 को रखें। लेखापित एवं संशोधित।</p> <p>अंचल अधिकारी दानापुर</p> <p>अंचल अधिकारी दानापुर</p>																		
	<p>नोटिस का ताभिल प्राप्त है। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है। राजस्व कर्मचारी का प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त है। उनलोगो ने आवेदक के नाम दाखिल-खारिज करने की अनुशंसा किये हैं। फलतः उनके अनुशंसा के आधार पर दाखिल-खारिज की जा जाती है। शुद्धि-पत्र निर्गत करें। लेखापित एवं संशोधित।</p> <p>अंचल अधिकारी दानापुर</p> <p>अंचल अधिकारी दानापुर</p>																		

CE-1209
22/4/13